2012:CGHC:10207-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्याय पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर

दांडिक अपील क्रमांक : 2056/1996

अपीलार्थीगण : 1. **गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण**, पिता – चिरोंजीलाल सोनी, आयु लगभग 22 वर्ष

2. **शांतिबाई**, पति – चिरोंजीलाल सोनी, आयु लगभग 49 वर्ष

3. **गिरजाबाई**, पति – ब्रह्मा सोनी, आयु लगभग 23 वर्ष उपरोक्त सभी अपीलार्थी निवासी – चंदनीभाटा, इन्द्रानगर,राजहरा, तहसील बालोद,जिला दुर्ग, म.प्र. (वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

उपस्थिति :
श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता – अपीलार्थियों की ओर से।
श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता – शासन की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 11.10.2012)

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया :

(1) यह अपील तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 108/95 में पारित निर्णय दिनांक 7 नवंबर, 1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थियों को निम्नलिखित रीति से दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया है:

अपीलार्थी क्रमांक 1 (गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण): धारा 302 भा.दं.सा के तहत दोषसिद्ध और आजीवन कारावास का दंड तथा 5000/- रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 (शांतीबाई और गिरजाबाई): धारा 201/34 भा.दं.सा के तहत दोषसिद्ध और 6 माह का सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास ।

(2) मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

मृतक बंशीलाल, राधा बाई (अ.सा-1) का पति था। अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण मृतक का पड़ोसी था ।दिनांक 20.2.1994 को रात लगभग 8.00 बजे, राधा बाई (अ.सा-1) अपने घर के सामने एक खाट पर बैठी थी । अपीलार्थी क्रमांक 1 भी उसी खाट पर बैठा था । उस समय मृतक बाजार गया हुआ था । जब मृतक अपने घर आया, तो उसने अपीलार्थी क्रमांक 1 को अपनी पत्नी के साथ खाट पर बैठे देखा । इसके बाद, अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतक के बीच विवाद हुआ । आरोप है कि विवाद के बाद, अपीलार्थी ने जलता हुआ लैंप (छोटी चिमनी) उठाकर मृतक पर फेंक दिया, जिससे मृतक झुलस गया।इस घटना को राधा बाई (अ.सा-1) ने देखा था ।

मृतक द्वारा स्वयं रात 8.40 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/12) दर्ज कराई गई, जिसमें उसने घटना और अपीलार्थी क्रमांक 1 के नाम का उल्लेख किया । उक्त शिकायत के आधार पर, अपीलार्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध धारा 307 भा.दं.स के तहत अपराध दर्ज किया गया । मृतक को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया । दिनांक 20.2.1994 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट एस.के.शर्मा (अ.सा-8) द्वारा मृतक का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/8) दर्ज किया गया, जिसमें भी मृतक ने अपीलार्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध आरोप लगाए ।उपचार के दौरान दिनांक 3.3.1994 को रात लगभग 9.30 बजे मृतक की मृत्यु हो गई मर्ग सूचना (Ex. पी/6) दर्ज की गई। जांच अधिकारी अस्पताल की शवगृह में पहुँचे, पंचों को सूचना (Ex. पी/5) दी गई तथा मृतक के शव का पंचनामा (Ex. पी/10) तैयार किया गया। शव को शवपरीक्षणम हेतु भेजा गया।शवपरीक्षण डॉ. आर.ए. पांडे (अ.सा-7) द्वारा किया गया । उन्होंने मृतक के शरीर पर 50% जलने की चोटें पाईं और राय दी कि मृत्यु का कारण जलने की चोटों के परिणामस्वरूप हुआ सदमा और 'सेप्टीसीमिया' था।शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/7 है । विद्वान सत्र न्यायाधीश ने राधा बाई (अ.सा-1) के अभिसाक्ष्य और मृतक द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया । न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि यह बिना युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो चुका है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 ने मृतक पर जलती हुई चिमनी फेंककर उसे आग लगाई थी, इसलिए वह धारा 302 भा.दं.स के तहत दंड का पात्र है ।

चूंकि राधा बाई (पीडब्लू-1) ने आरोप लगाया था कि अपीलार्थी क्रमांक 2- शांतीबाई और अपीलार्थी क्रमांक 3- गिरजाबाई ने उसे पुलिस से यह कहने के लिए प्रेरित किया था कि मृतक ने स्वयं को आग लगाई है, इसलिए इन दोनों अपीलार्थियों को धारा 201/34 भा.दं.सा के तहत उत्तरदायी ठहराया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर ने तर्क दिया कि राधा बाई (अ.सा-1) एक विश्वसनीय साक्षी नहीं थी; मृत्युकालिक कथन भी विश्वसनीय नहीं था; इसलिए, अपीलार्थियों को दी गई दोषसिद्धि और दंड को बरकरार नहीं रखा जा सकता । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सा के तहत अपराध साबित नहीं होता।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया ।

(5) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, हमने सत्र मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) राधा बाई (अ.सा-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को, लगभग 8.00 बजे, वह अपने घर के सामने एक खाट पर बैठी थी । उसका पति (मृतक) बाजार गया हुआ था । अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण उसके घर आया और वह भी उसी खाट पर बैठ गया । जब उसका पति बाजार से आया, तो उसने अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण को यह कहते हुए अपशब्द कहना शुरू कर दिया कि जब घर में परिवार का कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, तो वह उसके घर क्यों आया । वह कह रहा था कि अपीलार्थी उसके घर में क्यों बैठा था ।इसके बाद, दोनों एक-दूसरे को गाली देते हुए घर के भीतर चले गए । उनके घर में एक चिमनी जल रही थी । अपीलार्थी ने चिमनी उठाई और उसे उसके पति पर फेंक दिया, जिसके कारण उसके पति (मृतक) को जलने की चोटें आईं ।इसके बाद उसने शोर मचाया ।गंगाराम वहां आया और उसने उसके पति पर पानी डाला ।शांतीबाई (अपीलार्थी क्रमांक 1 की माँ) और गिरजाबाई (अपीलार्थी क्रमांक 1 की चाची) भी वहां आईं और वे अपीलार्थी क्रमांक 1 को अपने घर ले गईं । उसका पति (मृतक) उसके बाद पुलिस थाना गया ।जब वह अपने पति के पीछे पुलिस थाना जाने के लिए अपने घर से बाहर

आई, तो शांतीबाई और गिरजाबाई (अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3) ने उसे रोक लिया । वे उससे यह कहने के लिए कह रही थीं कि उसका पति दुर्घटनावश जला है । उसने आरोप लगाया कि इन दोनों अपीलार्थियों(अपीलार्थी 2 एवं 3) ने उसे धमकी दी थी ।

(7) राधा बाई (अ.सा-1) से बचाव पक्ष द्वारा लंबी प्रति-परीक्षा की गई । उसके केस डायरी कथन (प्रदर्श डी/1) में एक बड़ी विलोपन था । केस डायरी कथन में उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि अपीलार्थी 2 और 3 ने उसे रोका था और वे उससे यह कह रही थीं कि मृतक दुर्घटनावश जला है । उसके न्यायालयीन साक्ष्य और केस डायरी कथन (प्रदर्श डी/1) के बीच विरोधाभास भी था । डी/1 में उसने उल्लेख किया था कि उसका पति स्वयं जला था और अपीलार्थी क्रमांक 1 ने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी ।जब उसका सामना उक्त विरोधाभास से कराया गया, तो वह उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकी ।राधा बाई (अ.सा-1) का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । हमारा विचार है कि उसका साक्ष्य पूर्णरूप से भरोसे के लायक नहीं है एवं सत्र न्यायाधीश ने राधा बाई के साक्ष्य को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) यह घटना रात लगभग 8.00 बजे हुई थी और मृतक ने स्वयं रात लगभग 8.40 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/12) दर्ज कराई थी । प्रथम सूचना प्रतिवेदन में, उसने आरोप लगाया था कि अपीलार्थी ने उस पर जलती हुई चिमनी फेंकी थी, जिसके कारण उसे जलने की चोटें आईं । मृतक की उक्त शिकायत के आधार पर, अपीलार्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।इसके पश्चात,दिनांक 3.3.1994 को मृतक की मृत्यु हो गई ।अभियोजन ने यह सिद्ध कर दिया है कि मृतक ने संबंधित पुलिस थाने में उपरोक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई थी।अतः मृतक द्वारा दर्ज कराई गई उक्त प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी/12), उसकी मृत्यु के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत 'मृत्युकालिक

कथन' के रूप में स्वीकार्य होगी (**देखें: मुन्नू राजा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1976) 3 एस.सी.सी 104)**।

(9) एस.के.शर्मा (अ.सा-8) कार्यकारी मजिस्ट्रेट थे ।उन्होंने 20.2.1994 को ही मृतक का मृत्युकालिक कथन, प्रदर्श पी/8, दर्ज किया था । उक्त मृत्युकालिक कथन में भी, मृतक ने अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध स्पष्ट आरोप लगाए थे कि अपीलार्थी ने उस पर जलती हुई चिमनी फेंकी थी, जिसके कारण उसे जलने की चोटें आईं । हमने एस.के.शर्मा (अ.सा-8) के साक्ष्य का अवलोकन किया है और मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/8) की अंतर्वस्तु पर भी विचार किया। एस.के. शर्मा (अ.सा-8) के साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि मृतक ने दिनांक 20.2.1994 को उनके समक्ष उपरोक्त मृत्युकालिक कथन दिया था, जिसे उन्होंने प्रदर्श पी/8 के रूप में लिपिबद्ध किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) उपरोक्त दस्तावेज़ों के मूल्यांकन करने पर, हम पाते हैं कि मृतक ने इस प्रकार दो मृत्युकालिक कथन दिए थे, पहला पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में और दूसरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसे प्रदर्श पी/8 के रूप में लिपिबद्ध किया गया था । अतः, यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो गया कि वह अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण ही था, जिसने मृतक पर जलती हुई चिमनी फेंकी थी, जिसके कारण मृतक को उपरोक्त जलने की चोटें आईं और दिनांक 3.3.1994 को उन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

(11) अब, हम इस बात पर विचार करेंगे कि अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण द्वारा कौन सा अपराध किया गया है।

(12) ***<u>श्री विजयकुमार और अन्य बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा, कन्याकुमारी, (2005) 10 एस.सी.सी 737</u>*** के मामले में, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी-2 (अ-2) द्वारा मृतक पर जलता हुआ मिट्टी के तेल का चिमनी फेंकने का कृत्य अचानक उत्पन्न हुए आवेश में किया गया था।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से किसी पूर्व नियोजित हमले का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति की ओर एक छोटा जलता हुआ चिमनी फेंकने से यह निश्चित नहीं है कि उसके कपड़ों में आग लग ही जाएगी। मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष दिया गया कि अपीलार्थी-2 (अ-2) पर केवल इस ज्ञान का आरोप लगाया जा सकता है कि इस तरह के खतरनाक कृत्य से मृत्यु कारित होना संभावित है, और इस प्रकार अपीलार्थी-2 (अ-2) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-II के तहत दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) वर्तमान मामले में, अपीलार्थी क्रमांक 1 मृतक का पड़ोसी था । उसके मृतक के परिवार के साथ मेल-जोल वाले संबंध थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को, लगभग 8.00 बजे, मृतक की पत्नी राधा बाई (अ.सा-1) अपने घर के सामने एक खाट पर बैठी थी । अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण वहाँ आया और राधा बाई (अ.सा-1) की खाट पर बैठ गया । इसके बाद मृतक, जो बाजार गया हुआ था, वह भी वहाँ आ गया । उसने अपीलार्थी और अपनी पत्नी को एक ही खाट पर बैठे देखा । मृतक क्रोधित हो गया और उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया ।ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त झगड़े और मृतक द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण अपीलार्थी उत्तेजित हो गया, और अचानक, आवेश में आकर, बिना किसी पूर्व योजना के, उसने जलता हुआ लैंप (चिमनी) उठाया और उसे मृतक के ऊपर फेंक दिया । यह दर्शाता है कि मृतक की हत्या करने के लिए अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण की ओर से कोई तैयारी या पूर्व चिंतन नहीं था ।हमारा विचार है

कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण ने मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर जलता हुआ लैंप (चिमनी) फेंका था । हालांकि, अपीलार्थी क्रमांक 1 को यह ज्ञान होना अवश्य माना जा सकता है कि उसके इस खतरनाक कृत्य से मृतक की मृत्यु होना संभावित है । हमारा विचार है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 302 भा.दं.स के तहत अपराध नहीं बनेगा और अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण धारा 304 के भाग-II भा.दं.स के तहत दंड का पात्र होगा।

(14) जहाँ तक अपीलार्थी क्रमांक 2- शांतीबाई और क्रमांक 3- गिरजाबाई का प्रश्न है, हम पाते हैं कि उन पर राधा बाई (अ.सा-1) के साक्ष्य के आधार पर अभियोग चलाया गया था, जिसने यह आरोप लगाया था कि उन्हें (राधा बाई को) इन दोनों द्वारा रोका गया था और यह बयान देने के लिए धमकाया गया था कि उसके पति दुर्घटनावश जले हैं । राधा बाई (अ.सा-1) द्वारा अपने न्यायालयीन साक्ष्य में लगाया गया उपरोक्त आरोप उसके केस डायरी कथन में एक 'विलोपन' था, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं । हमने यह निष्कर्ष दे चुके है कि राधा बाई (अ.सा-1) पूरी तरह से विश्वसनीय साक्षी नहीं थी ।उसके केस डायरी कथन में इस महत्वपूर्ण विलोपन के आलोक में, हमें उसका साक्ष्य अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 को धारा 201/34 भा.दं.स के तहत दोषसिद्धि को क़ायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है।

(15) परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण को धारा 302 भा.दं.स के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंड को आपस्त किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाता है । इसके स्थान पर, अपीलार्थी क्रमांक 1- गुड्डू उर्फ लक्ष्मीनारायण को धारा 304 भाग-II भा.दं.स के तहत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है।

(16) अपीलार्थी क्रमांक 2- शांतीबाई और अपीलार्थी क्रमांक 3- गिरजाबाई को धारा 201/34 भा.दं.स के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंड को आपस्त किया जाता है । उन्हें उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**
(सुनील कुमार सिन्हा)	**(प्रीतिंकर दिवाकर)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.